तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट श्योराम बनाम तहसीलदार 2021/71	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –
श्री देवेन्द्र मालाकार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश अधिवक्ता अप्रार्थी 3 से 6

निर्णय

दिनांक :– 27.07.2021

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 596, 597, 598, 599, 600, 601 कुल रकबा 2.96 हैक्टयर, 1168, 1169 कुल रकबा 11.33 हैक्टयर, 1164, 1165, 1166, 1167 कुल रकबा 10.92 हैक्टयर, भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र नारायण लिखा हुआ है जो प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम श्योराम पुत्र नारायणराम है, प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधारा कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, वगैराह में प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र नारायणराम है, राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर शिवराम पुत्र नारायणराम अंकित कर दिया, जिससे प्रार्थी का भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उक्त आराजीयत में प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर श्योराम पुत्र नारायणराम दर्ज किया जाकर रेकार्ड दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3 से 6 ने जरिये अधिवक्ता इकबालिया जबाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अप्रार्थी 1, 2 के नोटिस तामील होकर प्राप्त होने पर राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया जाकर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2074–77 पेश की है, जिसमें प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र नारायणराम दर्ज है, प्रार्थी ने आधारा कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, की छाया प्रतियां पेश की है, जिसमें प्रार्थी का नाम श्योराम पुत्र नारायणराम दर्ज है अप्रार्थी 3 से 6 प्रार्थी के परिवार के सदस्य है तथा उक्त आराजीयत में रेकार्डेड खातेदार है ने इकबालिया जबाब पेश कर स्वीकार किया है कि प्रार्थी का नाम घर पर बोलता नाम शिवराम है, लेकिन अन्य सभी दस्तोवजात में प्रार्थी नाम श्योराम है जो सही है तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सह खातेदारो द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब के आधार पर वादी का स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 596, 597, 598, 599, 600, 601 कुल रकबा 2.96 हैक्टयर, 1168, 1169 कुल रकबा 11.33 हैक्टयर, 1164, 1165, 1166, 1167 कुल रकबा 10.92 हैक्टयर, भूमि में प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर श्योराम पुत्र नारायणराम दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)